

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर
योगीश्वर

मुकदमा - पार्श्वना पत्र

विपक्षी - शुभ लक्ष्मी

पत्रावली संख्या 14/2024 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
-----------------	---

9.12.24

पत्रावली पेश हुई। जहाँ अधिवक्ता डा. उपस्थित।
 प्रकरण का मूल बाद आदेश व नियम 5 के तहत -
 अदम नामिल में खातिज हो चुका है जिसमें इस प्रकरण
 में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः पार्श्वना पत्र आदेश व नियम 5 के तहत अदम
 नामिल - अदम पैरवी में खातिज किया जाता है। निर्णय
 क्षेत्र इजलास सुनाया गया। प्रकरण फ़ातल शुमार होकर नम्बर
 से बन्द हो।

(रिपॉर्टर)
 उपखण्ड अधिकारी
 गिर्वा, उदयपुर